श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 17.02.2018 को आयोजित राजस्व समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही : –

---

(1) राजस्व वसूली की समीक्षा के क्रम में बक्सर, राजपुर, नावानगर की कम वसूली के लिए तीनों अंचल अधिकारी से कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

(2) जमाबंदी पंजी की इन्ट्री की समीक्षा की गयी। सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि उनके अंचल के जमाबंदी पंजी की इन्ट्री अपने स्तर से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की व्यवस्था 20.02.2018 तक करते हुए जमाबंदी पंजी की इन्ट्री कराना सुनिश्चित करेंगे।

(3) अभियान दखल दाहानी की समीक्षा की गई। समेकित रूप से सभी अंचल अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि लम्बित 425 मामले न्यायालय से संबंधित है, जिसके कारण दखल दिलाना संभव नहीं हो रहा है। इस संबंध में पूर्व की बैठक में स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया था कि सभी अंचल अधिकारी इस आशय का अविलम्ब प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके अंचल में लम्बित दखल देहानी के सभी मामले न्यायालय में लम्बित है। आपरेशन दखल देहानी में लापरवाही बरतने के लिए अंचल अधिकारी, चक्की का वेतन बद करते हुए कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

(4) अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि अंचल अधिकारियों को कार्यो के आधार पर रैंकिंग करे तथा कम उपलब्धि वाले अंचल अधिकारियों के विरूद प्रपत्र 'क' गठित करना सुनिश्चित करेंगे।

(5) अभियान बसेरा की समीक्षा के क्रम में बेदखली के मामले को प्रपत्र– II में इन्ट्री कराने का निदेश दिया गया। अभियान बसेरा की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इटाढ़ी छोड़कर शेष अंचलों के द्वारा विगत दो माह में कोई कार्य नहीं किया गया है। अंचल इटाढ़ी को छोड़कर शेष सभी अंचल अधिकारियों का वेतन बंद करने का आदेश दिया गया। अपर समाहर्त्ता अपने स्तर से इटाढ़ी को छोड़कर शेष अंचल अधिकारियों से अभियान बसेरा में कम उपलब्धि के लिए कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

(6) एल0पी0सी0 की समीक्षा की गयी। नावानगर में 693 बचा हुआ। निदेशित किया गया कि इसे शीघ्र ऑन लाईन करायें।

(7) सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति– II के अन्तर्गत लम्बित मामालों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करें।

(8) धार्मिक संरचना को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने / नियमितिकरण किये जाने की समीक्षा की गई। प्रधान लिपिक, राजस्व शाखा, को निदेशित किया गया कि राजस्व कार्यालय में प्राप्त धार्मिक संरचनाओं की सूची को दोनों अनुमण्डल पदाधिकारी को ई–मेल के माध्यम से अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करेंगे। सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि धार्मिक संरचनाओं को नियमितीकरण हेतु विधिवत् प्रस्ताव अगली बैठक के पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपने कार्यालय में इस संबंध में पंजी भी संधारित करेंगे कि कितने धार्मिक संरचना है, कितना हटाया गया, कितना नियमितीकरण किया गया है तथा कितना अवशेष है।

(9) सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि उनके कार्यालय में लम्बित सेवान्त लाभ का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

(10) लोक सेवा अधिकार के तहत छापेमारी करने की समीक्षा की गई प्रखण्ड– डुमरॉव एवं केसठ के वरीय प्रभारी द्वारा निदेश के बावजूद छापेमारी नहीं की गई। नोडल पदाधिकारी, RTPS को निदेशित किया गया कि दोनों पदाधिकारियों से छापेमारी नहीं करने के लिए कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया। आई0टी0, मैनेजर को निदेशित किया गया कि प्रतिमाह संबंधित पदाधिकारियों से 10 तारीख तक छापेमारी का प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे तथा प्रतिवेदन नहीं भेजने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु नोडल पदाधिकारी, RTPS के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करायेंगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को निदेशित किया गया कि निबंधन कार्यालय के RTPS काउन्टर का औचक निरीक्षण करने का निदेश दिया गया।

(11) शनिवार को अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ संयुक्त बैठक की समीक्षा की गयी। बगेन गोला, कोरान सराय, तिलक राय के हाता ओ0पी0 एवं नावानगर थाना में अंचल अधिकारियों का संयुक्त बैठक में अनुपस्थिति के बारे में थानाध्यक्षों के द्वारा जानकारी दी गयी। अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि शनिवार को आयोजित संयुक्त बैठक कराना सुनिश्चित करें साथ ही निदेशित किया गया कि संयुक्त बैठक हेतु पूर्व से भूमि विवाद को चिन्हित करेंगे तथा उक्त तिथि को चिन्हित भूमि विवाद के मामलों का समाधान करायेंगे साथ ही थाना एवं अन्या मामलों में अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारियों के साथ अन्य पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्त करेंगे, ताकि भूमि विवाद से सम्बंधित अधिक–से–अधिक मामले का निष्पादन हो सके।

(12) सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि भूमि विवाद के मामले में प्राप्त शिकायतों के आलोक में जांचोपरान्त कार्रवाई करेंग। धारा 114 एवं 145 के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजते समय स्थल भ्रमण कर विधि सम्मत निर्णय लेगें, ताकि मूल रैयत को किसी प्रकार का अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

(13) सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि राजस्व कचहरी कहाँ–कहाँ चलता है, उसकी सूची भेजेंगे ताकि राजस्व कचहरी की मरम्मति हेतु कार्रवाई की जा सके।

(14) अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता को हल्का एवं अंचल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा को निदेशित किया गया कि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से मार्च माह में किसी अंचल कार्यालय का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।

तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

समाहर्त्ता, बक्सर

ज्ञापांक 03-0550 /रा० दिनांक 09-03-2018

प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव / जिला सूचना विज्ञाना पदाधिकारी, बक्सर /आई० टी० मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

08/03/18

समाहर्त्ता, बक्सर